



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

ज्मोत एव कसो वर, कसोवो मसिवा ३३ उदणु वु मिसी ३०३०३
मोड २३५३३३३३ ३३३३ २३५३३३३३

याचिका सं. २१३/टीडी/२०२२ दिनांक: १९ अक्टूबर, २०२२
विद्युत अधिनियम, २००३ (अधिनियम) की धारा १५
की उप धारा (५) के खंड (क) के तहत नोटिस

१. संपूर्ण भारत में विद्युत में अंतरराष्ट्रिक व्यापार के लिए श्रेणी-III अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन विज्जुअल परसेप्ट सोलर प्रॉजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड, सन्चय, ६००, तपोवन, अंबायाड़ी, अहमदाबाद-३८० ०१५, गुजरात द्वारा आयोग के समक्ष किया गया है।
२. विज्जुअल परसेप्ट सोलर प्रॉजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड को अंतरराष्ट्रिक व्यापार अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति के लिए वेबसाइट www.torrentpower.com में देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में विली अस्ति द्वारा प्रिरीकित किया जा सकता है।
३. रिकार्ड पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग संतुष्ट है कि प्रथम दृष्टया आवेदक विद्युत में अंतरराष्ट्रिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए अर्हक है और दिनांक १९.१०.२०२२ के आदेश द्वारा आयोग ने संपूर्ण भारत में विद्युत में अंतरराष्ट्रिक व्यापार के लिए आवेदक को श्रेणी-III में अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।
४. नोटिस अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (५) के खंड (क) के अनुसार नें दिया गया है कि उदा के अनुसार, आवेदक को विद्युत में अंतरराष्ट्रिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हैं, को उक्त पते पर ११.११.२०२२ तक अधोहस्ताक्षरी को भेजा जाए, विनिर्दिष्ट तारोख के बाद प्राप्त सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहें किया जाएगा।
५. आयोग ने १७.११.२०२२ को अंतिम निपटान के लिए आवेदन को निर्धारित किए हैं और कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दाखिल करता है, वह इन सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग को कोई टीए/डीए नहें दिया जाएगा।

हस्ता/-
(इरशीत सिंह दुधी
सचिव)